प्रति,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय
विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम
(छ0ग0स्टेट0पां0डि0कं0लि0)
सी–5 विद्युत परिसर गुढ़ियारी रायपुर (छ0ग0)

विषय :– सुरक्षा निधी की राशि वापस करने बाबत्।

महोदय,

सनम्र निवेदन है कि मैं बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी निवासी ग्राम जंगलपुर, तहसील कुण्डा, जिला कबीरधाम छ0ग0 का हूं जो कि मेरे द्वारा गुड़ बनाने के लिए कनेक्शन लिया गया था जिसे चलाने के लिए विद्युत कनेक्शन का बी.पी. नंबर 1010288212 है। कनेक्शन के लिए में मेरे पास से 80000/– (अस्सी हजार रूपये) जमा कराया था। दो महिना मै युज किया, दो महिना चलाने के बाद विभाग के द्वारा मेरा बिल 17380/– (सत्रह हजार तीन सौ अस्सी रूपये) बिल दिया गया। उसके बाद मेरा जो शेष राशि 62620/– (बैसठ हजार छः सौ बीस रूपये) वापस नहीं किया है। जो कि मै आंफिस में 4 से 5 बार आंफिस का चक्कर काट रहा हूं आर्थिक एवं मानसिक रूप से सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई जवाब नही दिया है और जब जमा किया था तो आंफिस में बोला कि मीटर बंद होने के बाद बकाया राशि 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा बोला था।

Redirect to CGRF Rajnandgaon

अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे शेष राशि को जल्द से जल्द दिलाने की महान कृपा करें।

बिसेन

आवेदक
बिसेन चन्द्रवंशी
पिता द्वारिका चन्द्रवंशी
निवासी ग्राम जंगलपुर
तह. कुण्डा, जिला कबीरधाम (छ0ग0)
मो0– 7974562647

दिनांक : 6/5/26

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
क्रमांक 21
दिनांक 11 MAY 2026
रायपुर (ग्रामीण)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112

22/05/2026

क्रमांक / फोरम / रा.ग्रा. / सामा. / 2026 / 35 रायपुर, दिनांक 20 MAY 2026

प्रति,

अध्यक्ष,
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव
कार्या0 कार्यपालक निदेशक (राजनांदगांव क्षेत्र),
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., पार्रीनाला, राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– आवेदक श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम जंगलपुर, तहसील कुण्डा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के संबंध में ।

संदर्भ :– आवेदक की शिकायत पत्र फोरम में प्राप्ति दिनांक 11.05.2026.

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम जंगलपुर, तहसील कुण्डा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के द्वारा शिकायत पत्र रायपुर फोरम में प्रेषित किया गया है । चूँकि उक्त शिकायत आपके क्षेत्र के अंतर्गत है ।

अतः मूल शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नः-- मूल शिकायत पत्र।

(Seal: विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण))

(अशोक खण्डेलवाल)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (ग्रामीण)

प्रतिलिपिः– श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी, निवासी ग्राम जंगलपुर, तहसील कुण्डा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को सूचनार्थ, कृपया आवेदक, राजनांदगांव फोरम में संपर्क करें ।

पंजीकृत डांक

CSPDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(छ.ग. शासन का उपक्रम) (छ.रा.वि.मं. की उत्तरदायी कम्पनी)

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सं./सं.) संभाग पण्डरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)

ऊर्जा का गढ़

मुंगेली रोड ग्राम डोमसरा पोस्ट महली तह. पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन न. 491559 दूरभाष +91 62695 06701

क्रमांक / 544300 / राजस्व / वि.उ.शि.नि.फो. / 1017 पण्डरिया दिनांक 02 / 07 / 2026

प्रति

मान. अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता
शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

विषय :– आवेदक श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी निवासी ग्राम जंगलपुर तह. कुण्डा जिला कबीरधाम (छ.ग.) के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव का पत्र क्रमांक 13–01 / वि.उ.शि.नि.फोर. राजनांदगांव / 46 दिनांक 02.06.2026।
2. कार्यपालन अभियंता (सं. / सं.) संभाग पंडरिया का पत्र क्रमांक 911 दिनांक 18.06.2026।
3. कार्यपालन अभियंता (सं. / सं.) संभाग पंडरिया का पत्र क्रमांक 917 दिनांक 19.06.2026।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित लेख है कि उपभोक्ता श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी निवासी ग्राम जंगलपुर बीपीनं. 1010288212 के द्वारा उनके विद्युत देयक में जमा राशि को वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त उपभोक्ता के भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 39200316418 में दिनांक 01.07.2026 को राशि 62286.00 रूपये का हस्तांरित कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रस्तुत है।

संलग्न उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता (सं. / सं.) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. पण्डरिया

प्रतिलिपि :–
1. सहायक अभियंता उपसंभाग छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. पंडरिया को सूचनार्थ।
2. श्री बिसेन चन्द्रवंशी पिता द्वारिका चन्द्रवंशी निवासी ग्राम जंगलपुर तह. कुण्डा जिला कबीरधाम (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता (सं. / सं.) संभाग
छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि. पण्डरिया

पंजीकृत डाक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक /विउशिनिफोराज./2026/61 राजनांदगांव दिनांक 08/07/2026

01. श्री बिसेन चन्द्रवंशी, पिता द्वारिका चन्द्रवंशी
ग्राम जंगलपुर, विकासखण्ड कुण्डा,
जिला कबीरधाम (छ.ग.)

02. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पंडरिया।

विषय :– **प्रकरण क्रमांक/27/2026 पर पारित आदेश**

––00––

विषयांतर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अधीक्षण अभियंता (वृत्त), छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., कवर्धा।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, राजनांदगांव

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष ए.के. गौराहा)

प्रकरण क्रमांक / 27 / 2026

संस्थित दिनांक 27 / 04 / 2026

श्री बिसेन चन्द्रवंशी, पिता द्वारिका चन्द्रवंशी
ग्राम जंगलपुर, विकासखण्ड कुण्डा,
जिला कबीरधाम (छ.ग.) ....परिवादी

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) संभाग,
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., पंडरिया (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश

(दिनांक 08 / 07 / 2026 को पारित)

परिवादी के अस्थायी कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि को उत्तरवादी द्वारा वापस न किए जाने से क्षुब्ध होकर परिवादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. ग्राम जंगलपुर, कुंडा जिला कबीरधाम स्थित परिवादी के परिसर में गैर घरेलू श्रेणी का 8.0 कि.वा. भार का अस्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1010288212 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया था।

ख. परिवादी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के पूर्व राशि रू. 80000.000 सुरक्षा निधि के रूप में उत्तरवादी के पास जमा की गयी थी ।

ग. वर्तमान में परिवादी का विद्युत कनेक्शन उत्तरवादी द्वारा स्थायी रूप से विच्छेदित किया जा चुका है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा गुड बनाने हेतु प्राप्त किए गए अस्थायी विद्युत कनेक्शन का मात्र दो माह उपयोग करने पर उत्तरवादी द्वारा रू. 17380.00 के देयक को सुरक्षा निधि से समायोजित कर दिया गया लेकिन विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित किए जाने के बाद भी शेष राशि रू. 62620.00 आज दिनांक तक वापस नहीं की गयी है जिसे अविलंब वापस किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किया जाय ।

(हस्ताक्षर) (मुहर: विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव)

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 917 दिनांक 19.06.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी का, अपने विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध जमा सुरक्षा निधि की राशि को वापस किए जाने संबंधी आवेदन सहायक यंत्री पंडरिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसका प्रकरण तैयार कर क्षेत्रीय लेखाधिकारी राजनांदगांव को प्रेषित किया गया है । अनुमोदन प्राप्त होते ही परिवादी की सुरक्षा निधि की राशि उसके खाते में स्थानांतरित कर दी जावेगी ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या परिवादी की जमा सुरक्षा निधि को वापस किए जाने के लिए उत्तरवादी द्वारा की जा रही कार्यवाही नियमानुसार है ।

(ii) क्या उत्तरवादी द्वारा परिवादी की जमा सुरक्षा राशि को वापस करने में विलंब किया गया है । क्या परिवादी इसके लिए उत्तरवादी से प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि बार–बार उत्तरवादी के कार्यालय के बार–बार संपर्क करने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उसकी जमा सुरक्षा निधि वापस नहीं की जा रही है ।

सप्लाई कोड 2011 की कंडिका 4.59(xii) यथा – After, the period of temporary supply is over and supply has been disconnected, the licensee shall prepare the final bill and send it to the consumer within 30 days from the date of disconnection of supply and return the balance amount, if any, within 90 days after disconnection of supply or within 60 days of submission of original money receipt or indemnity or declaration in case of loss of recpipt by the consumer whichever is later.

के अनुसार कनेक्शन विच्छेदित किए जाने के 90 दिवस अथवा परिवादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के 60 दिवस के भीतर उत्तरवादी द्वारा सुरक्षा निधि राशि को वापस किया जाना है । चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा पूर्व में इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है अतः उक्त

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम राजनांदगांव

विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि उसके वर्तमान आवेदन के आधार पर की उत्तरवादी द्वारा की जा रही कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. चूंकि परिवादी द्वारा पूर्व में अपनी सुरक्षा निधि राशि को वापस किए जाने संबंधी उत्तरवादी के समक्ष आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः फोरम के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर उत्तरवादी द्वारा की जा रही कार्यवाही को विलंब से की गयी कार्यवाही नहीं माना जा सकता है । परिवादी द्वारा स्वयं भी किसी क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर राशि की मांग नहीं की गयी है । अतः उक्त विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष यह है कि उत्तरवादी की कार्यवाही छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में निर्धारित समयावधि के अनुसार है एवं इसके लिए परिवादी किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

8. उत्तरवादी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 02.072026 के माध्यम से फोरम को यह सूचित किया गया है कि परिवादी के बैक खाता क्रमांक 39200316418 में दिनांक 01.07.2026 को सुरक्षा निधि की राशि 62286.00 रूपये स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है ।

9. संपूर्ण विचारणीय प्रश्नों की विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि परिवादी की शिकायत का निराकरण उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है ।

10. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूं कि उत्तरवादी द्वारा परिवादी के खाते में उसकी शेष सुरक्षा निधि राशि वापस करते हुए, परिवादी की शिकायत का निराकरण कर दिए जाने के बाद इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

11. यदि आवेदक / उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(ए.के. गौराहा)
अध्यक्ष